कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा/प्रारं/आर.टी.ई/सी/पुनर्भरण/18892/14–15/445 दिनांकः– 8-5-2015

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा
(समस्त)

विषयः– सत्र 2014–15 की प्रथम किस्त का उपयोगिता प्रमाण पत्र भिजवाने बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि सत्र 2014–15 की प्रथम किस्त का भुगतान दिनांक 31 मार्च 2015 तक किया गया जिसका उपयोगिता प्रमाण पत्र का प्रारूप RTE वेब पोर्टल rte.raj.nic.in पर अपलोड कर दिया गया है। उपयोगिता प्रमाण पत्र आहरण–वितरण अधिकारीवार अपलोड किया गया है, जो निम्नानुसार हैः–

1. बी.ई.ई.ओ कार्यालय के लिए
2. जि.शि.अ. (प्रा.शिक्षा) कार्यालय के लिए
3. जि.शि.अ. (मा.शिक्षा) कार्यालय के लिए

संबंधित कार्यालय अपने लिए निर्धारित प्रारूप में उपयोगिता प्रमाण पत्र जनरेट कर उसकी हार्ड प्रति सम्बन्धित अधिकारी व सम्बन्धित लेखा कर्मी के हस्ताक्षर सहित निम्नानुसार भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

1. समस्त बी.ई.ई.ओ कार्यालय एवं जि.शि.अ. प्रारम्भिक शिक्षा कार्यालय द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशक प्रा. शिक्षा राजस्थान बीकानेर को दिनांक 25.05.2015 तक आवश्यक रूप से प्रेषित करेंगे।
2. समस्त जि.शि.अ. मा. शिक्षा कार्यालय द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर को दिनांक 25.05.2015 तक आवश्यक रूप से प्रेषित करेंगे।

उल्लेखनीय है कि सत्र 2014–15 की द्वितीय किस्त की पुनर्भरण राशि का बजट आवंटन प्रथम किस्त के उपयोगिता प्रमाण पत्र के आधार पर ही किया जायेगा। जिस आहरण वितरण अधिकारी द्वारा समय पर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित नहीं किया जायेगा उसे सत्र 2014–15 की द्वितीय किस्त का बजट आवंटन किया जाना संभव नहीं होगा। अतः इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करते हुए सत्र 2014–15 की प्रथम किस्त का उपयोगिता प्रमाण पत्र समय पर प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

निदेशक
प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय
राजस्थान बीकानेर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. निजी सचिव, शासन सचिव प्रारंभिक शिक्षा, शासन सचिवालय जयपुर
2. निजी सचिव, आयुक्त राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद जयपुर
3. निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर को प्रेषित कर निवेदन है कि अधीनस्थ समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मा. शिक्षा को उपयोगिता प्रमाण पत्र समय पर भेजने हेतु पाबंद करावें तथा प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र के आधार पर जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा (समस्त) को सत्र 2014–15 की द्वितीय किस्त के पुनर्भरण हेतु वित्तीय वर्ष 2015–16 में बजट जारी करवाने की कार्यवाही करें।
4. समस्त उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा............................. को प्रेषित कर लेख है कि वे अपने मण्डल के अधीन जिलों के आहरण वितरण अधिकारियों से समय पर उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय प्रा. शिक्षा/मा.शिक्षा बीकानेर को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

उप निदेशक (आरटीई)
प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय
राजस्थान बीकानेर